२१

२५.७.२५ पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई थी। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कि जाती है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा सं0 : 81/20

शंभुलाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूं

.... वादी

– बनाम –

1:– देवा पिता भूरा मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूं

2:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
गोपाललाल गुरूजी
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 24–09–2024

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि मौजा शिवपुरा प0ह0 माधोपुर तह0 बेगूं की वर्तमान खातौनी संवत 2070–73 खाता सं0 40 में खाता सं0 40 में आराजी सं0 207 मी. रकबा 1.2500 है0 भूमि अंकित स्थित है।

यह कि उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 होकर इसी अनुसार कब्जे एवं काश्त उपयोग उपभोग में है। वादी एवं प्रतिवादीग के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय एवं मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है। वादी उक्त वर्णित आराजी में का अपना निहित हक हिस्सा 1/2 को जरिये बंटवारा पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एण्ड बाउंडस में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है।

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित आराजी सं0 207 मी. रकबा 1.2500 है0 भूमि में का वादी का हिस्सा 1/2 का जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावे।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी द्वारा निम्नानुसार जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि–

उक्त वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पूर्व में मौखिक बंटवाडा हो चुका है जिस अनुसार मौके पर काबीज हिस्से पर पत्थरो की कोट बना ली है प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से की जमीन को काबील काश्त बनाई एवं पत्थरों की दीवार करवाई जिस पर वादी के मन में बदनियती आ जाने से यह वाद न्यायालय श्रीमान में पेश है। मौके पर काबीजानुसार हिस्से की जमीन पर विभाजन कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में जवाव प्रस्तुत होने के पश्चात तनकी कायम की गयी जो निम्नानुसार है–

1. आया कि वादी मौजा शिवपुरा आराजी सं0 207 मी. रकबा 1.2500 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान कराने का अधिकारी है ? .... जिम्मेवादी
2. आया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य में पूर्व में मौखिक बंटवाडा हो चुका है जिस अनुसार मौके पर कावीज है, मौके पर काबिजा अनुसार हिस्से की जमीन पर विभाजन कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। .... जिम्मेप्रतिवादी

प्रकरण में तनकी कायम की जाने के पश्चात वकील वादी द्वारा वादी शंभुलाल पिता मांगीलाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलम बद्ध कर दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 एवं नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 है। दस्तावेज प्रदर्श होने के पश्चात दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण में दस्तावेज प्रदर्श होने के पश्चात उभय पक्ष द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किये जाने का निवेदन न्यायालय को किया गया। जिसके अनुसार वाद वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाना हम उचित समझते है। इसी अनुसार विभाजन कराया जाना न्यायसंगत है।

अत वाद वादीगण का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा टुकराई प0ह0 टुकराई तह0 बेगूं खाता सं0 40 में आराजी सं0 207 मी. रकबा 1.2500 है0 भूमि में वादी का हक हिस्सा 1/2 घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 16.05.2024 से पूर्व पेश करे।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक 4156 दिनांक 09.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा शिवपुरा पटवार हल्का माधोपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री शंमभूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह खातेदार रहन आमल्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
207	0.61	बंजड	1.13
कीता– 01	0.61 हैक्टर		1.13

2– श्री देवा पिता भूरा मीणा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
207	0.62	बंजड	1.16
कीता– 01	0.61 हैक्टर		1.16

सयुंक्त खाता :–

3– श्री देवा पिता भूरा मीणा 1/2 श्री शंमभूलाल पिता मांगीलाल मीणा 1/2 सा. देह खातेदार रहन आमल्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
207	0.02	बंजड	0.04
कीता– 01	0.02 हैक्टर		0.04

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 81/20
शंभुलाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूं
.... वादी

– बनाम –

1:– देवा पिता भूरा मीणा निवासी शिवपुरा तह0 बेगूं
2:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं
.......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री गोपाललाल गुरुजी की उपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा शिवपुरा पटवार हल्का मााधोपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री शंमभूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह खातेदार रहन आमल्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
207	0.61	बंजड	1.13
कीता– 01	0.61 हैक्टर		1.13

2– श्री देवा पिता भूरा मीणा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
207	0.62	बंजड	1.16
कीता– 01	0.61 हैक्टर		1.16

सयुंक्त खाता :–
3– श्री देवा पिता भूरा मीणा 1/2 श्री शंमभूलाल पिता मांगीलाल मीणा 1/2 सा. देह खातेदार रहन आमल्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नन्दवाई

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	किस्म	लगान
207	0.02	बंजड	0.04
कीता– 01	0.02 हैक्टर		0.04

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/484 दिनांक :– 26-9-24

दावा संख्या 81/2020 व अनवान शम्भूलाल बनामदेवा व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ